

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

शुद्धि पत्र

सं०-०७/स्था०-१५-०५/२०१७, परि०

पटना, दिनांक-

विभागीय आदेश सं०-१११०, दिनांक-१०.०२.२०२६ के क्रम सं०-१० एवं १२ पर अंकित क्रमशः श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव एवं श्री संजीव कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति परिवहन विभाग (मुख्यालय) में किया गया है, को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

२. शेष प्रस्ताव यथावत रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-०७/स्था०-१५-०५/२०१७, परि० ११२९

पटना, दिनांक- १०/०२/२०२६

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर एवं मुजफ्फरपुर/स्थापना शाखा-०५/संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विप्राक्षि १०.२.२६

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।